<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 01/2025 **दिनांक 09/01/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 08.01.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. थाना करण्डा पुलिस टीम द्वारा 11 राशि गोवंश (02 राशि गाय,02 राशि साड़ व 07 राशि बछड़ा) को पिकप वाहन संख्या UP67AT8718 में वध हेतु ले जाते समय बरामद करते अभियोग पंजीकृत कर गो आश्रय स्थल दाखिल किया गया ।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08.01.2025 को उ0नि0 बृजेश्वर यादव मय टीम के द्वारा क्षेत्र भ्रमण व रात्रिगश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग करते हुए चोचकपुर तिराहे के पास से पिकप वाहन संख्या UP67AT8718 को रोककर चेक किया गया तो वाहन चालक, वाहन को रोककर खेत में कूदकर भागने में सफल रहा। तत्पश्चात् पिकप वाहन उपरोक्त से 11 राशि गोवंश (02 राशि गाय,02 राशि साड़ व 07 राशि बछड़ा) जिसे क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु ले जाया जा रहा था, को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर नियमानुसार मु0अ0सं0 06/2025 धारा- 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अभियुक्तगण का नाम पता -</u>

1. वाहन स्वामी सुरेन्द्र पुत्र जोखू प्रसाद निवासी रघुनाथपुर खुरहुजा थाना बबुरी जनपद चन्दौली
2. वाहन संख्या UP67AT8718 का चालक नाम पता अज्ञात

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

मु0अ0सं0 06/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना करण्डा गाजीपुर

<u>बरामदगी का विवरण–</u>

1.एक अदद पिकप वाहन सं0- UP67AT8718

2. 11 राशि गोवंश (02 राशि गाय,02 राशि साड़ व 07 राशि बछड़ा)

गिरफ्तारी- निल

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर